राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोदू उर्फ़ गोवर्धन बनाम गोपी

तारीख हुक्म	589/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/05/2026 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

27/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पैत्रिक कृषि भूमि ग्राम रामजीपुरा वास पटवार क्षेत्र नेवट, भू-अभिलेख मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नंबर 243 रकबा 0.90 हैक्टर, 244 रकबा 0.47 हैक्टर, 245 रकबा 1.51 हैक्टर, 247 रकबा 0.09 हैक्टर, 248 रकबा 1.27 हैक्टर, 286 रकबा 0.93 हैक्टर, 287 रकबा 0.93 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 6.10 हैक्टर के हाल जमाबंदी संवत 2060 से 2063 अनुसार रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार जीवण, गोपी पिता लाला, प्रेमा नाबालिग पुत्र कल्याण आयु 12 वर्ष संरक्षक भूरी बेवा कल्याण जाति धानका सा. हसमपुरा दर्ज में से जीवण पुत्र लाला ने अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा सीता देवी पत्नि भंवरलाल, नारंगी देवी पत्नि गंगाराम, अनोखी देवी पत्नि बाबूलाल, राजू देवी पत्नी सीताराम हिस्सा 1/3 जाति धानका को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वैचान कर दिया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 06.04.2005 को तस्दीक किया जाकर अमल राजस्व रेकॉर्ड हो चुका है। वादी ने वाद पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है, जिसके साबिक खसरा नंबरान 151 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 153 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा, 155 रकबा 8 बीघा, 152 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा, कुल किता 4 रकबा 49 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार लाला पुत्र पा था जो उन्हे रूपा की फौती पर प्राप्त हुई थी । उक्त रेकॉर्डेड खातेदारो के स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार पर जीवण, गोपी पुत्रान् लाल प्रेमा नाबालिग पुत्र कल्याण आयु 12 वर्ष संरक्षिका भूरी बेवा कल्याण हिस्सा 1/2, श्याणा व काना पुत्रान गेंदा हिस्सा 1/2 कौम धानका सा.हसमपुर, रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड अनुसार है। साबिक खसरा नंबरान् 151, 152, 153 व 155 किता 4 रकबा 49 बीघा 06 बिस्वा से भू-प्रबंध के दौरान नये खसरा नंबरान् जयपुर 243 रकबा 0.90 हैक्टर, 244 रकबा 0.47 हैक्टर, 245 रकबा 1.51 हैक्टर, 247 रकबा 0.09

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोदू उर्फ़ गोवर्धन बनाम गोपी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

589/2023

हैक्टर, 248 रकबा 1.27 हैक्टर, 286 रकबा 0.93 हैक्टर, 287 रकबा 0.93 हैक्टर, 288 रकबा 6.00 हैक्टर, 287/296 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 9 रकबा 12.32 हैक्टर बने है। हाल खसरा नंबरान् 243, 244, 245, 247, 248, 286, 287, 288, 287/296 के रेकॉर्डेड खातेदारान ने सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन कर अलग से खाता कायम करवा लिया, जिसके अनुसार खसरा नंबरान् 243, 244, 245, 247, 248, 286, 287 किता 7 रकबा 6.10 हैक्टर के खातेदार काश्तकार लालाराम के वारिसान जीवण, गोपी पुत्रान लालाराम, प्रेमा पुत्र कल्याण हिस्सा 1/2 व खसरा नंबर 288, 287/296 किता 2 रकबा 6.16 हैक्टर के खातेदार काश्तकार गेंदा के वारिसान श्याणा व काना पुत्रान गंदा धानका सा.हसमपुरा है। उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक, स्वत्व व हिस्सा है। जिसकी घोषणा करवाकर, हिस्से में आई भूमि का विधिक विभाजन कराने व वादी कि हिस्से में आई भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का वैधानिक अधिकार वादी को है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की बेदखल व बाधा उत्पन्न न स्वयं करे, न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करवायें। वादी की माता मु. भूरी बेवा कल्याण व बडा भाई प्रेमा पुत्र कल्याण के नाम नामान्तरकरण संख्या 30 तस्दीक होने के पश्चात वर्ष 1983 में ग्राम रामजीपुरा वास छोडकर कहीं चले गये, जो आज तक 23-24 वर्ष से लौटकर नही आये है, इसका कोई पता नही है कि वे जिन्दा है या मर गया लेकिन दिनांक 23.05.2006 ग्राम रामजीपुरा वास पटवार क्षेत्र नेवट, भू-अभिलेख मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नंबरान् 243, 244, 245, 247, 248, 286, 287, किता 7 रकबा 6.10 हैक्टर स्थित कृषि भूमि हिस्सा 1/3 का बैचान फर्जी व्यक्ति प्रेमा पुत्र कल्याण उम्र 35 वर्ष के द्वारा अर्जुनलाल धानका पुत्र बंशीलाल धानका निवासी ग्राम रामजीपुरा वास के हक में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जो दिनांक 23.05.2006 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 521, पेज संख्या 50, क्रम संख्या 20060667002264 पर पंजीकृत किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1688 के पेज संख्या 406 से 412 पर चस्पा किया गया। उक्त विक्रय पत्र वादी के हितो के विरूद्ध प्रभाव शून्य घोषित किया जावे। वादी के पिता कल्याण पुत्र लाला का स्वर्गवास वर्ष 1974 में जब वाई 1 वर्ष का व प्रेमा 4 वर्ष का था हो गया था व लालाराम (वादी के दादा) का स्वर्गवास 1982 में होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 14.06.1982 को नायब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोदू उर्फ़ गोवर्धन बनाम गोपी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	589/2023	

तहसीलदार सांगानेर द्वारा वादी की नाबालगी मे जीवण, गोपी पि. लाला, प्रेमा पुत्र कल्याण नाबालिग आयु 12 वर्ष संरक्षक भूरी बेवा कल्याण हिस्सा 1/2, श्याणा, काना पि. गैंदा हिस्सा 1/2 जाति धानका सा.देह के हक में तथाकथित वसीयत दिनांक 10.04.82 के आधार पर एवं उप जिलाधीश जयपुर के आदेश दिनांक 07.06.82 की अनुपालना में तस्दीक किया। उक्त समय वादी नाबालिग था। इसलिए वादी को उक्त तथ्य की जानकारी नही हो सकी। उक्त नामान्तरकरण वादी के हितो के विरूद्ध गैर कानूनी व अवैध है जिससे वादी के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पडा है। दिनांक 02.07.2006 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त बाजरा की बिजाई कर रहा था तो प्रतिवादी संख्या 4 व उसके पुत्रान् तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 एकराय होकर आये व वादी को काश्त में बाधा उत्पन्न करते हुये कहने लगे कि प्रेमा के हिससे की भूमि में हमारा हक है, इसलिये तुझे काश्त नही करने देंगे व वादी को प्रेमा का भाई होने से भी इन्कार करने लगे तथा गाली गलोच करने लगे, उसी समय गोपी व उसके पुत्रान् ने आकर बीच बचाव किया। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 धमकी देकर गये कि हम तुझे काश्त नही करने देंगे, जमीन पर तेरा कोई हक नही है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम रामजीपुरा वास तहसील सांगानेर स्थित भूमि हाल खसरा नंबरान् 243 रकबा 0.90 हैक्टर, 244 रकबा 0.47 हेक्टर, 245 रकबा 1.51 हैक्टर, 247 रकबा 0.09 हैक्टर, 248 रकबा 1. 27 हैक्टर, 286 रकबा 0.93 हैक्टर, 287 रकबा 0.93 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 6.10 हैक्टर में से हिस्सा 1/3 वादी गोदू पुत्र कल्याण को खातेदार काश्तकर घोषित किया जावे, शेष हिस्सा 2/3 बदस्तूर गोपी पुत्र लाला हिस्सा 1/3, सीता देवी पत्नि भंवरलाल, नारंगी देवी पत्नि गंगाराम, अनोखी देवी पत्नि बाबूलाल, राजू देवी पत्नि सीताराम जाति धानका हिस्सा 1/3 बराबर यथावत रहेगा तथा फर्जी व्यक्ति प्रेमा पुत्र कल्याण बनकर जो प्रतिवादी संख्या 10 अर्जुनलाल धानका पुत्र बंशीलाल धानका के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2006 वादी के हितो के विरूद्ध भाव शून्य घोषित किया जावें एवं वादग्रस्त भूमि का मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर लगान अलग अलग कायम किया जाकर खाता अलग कायम किया जावे तथा वाद विभाजन वादी के हिस्से में आयी भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाये कि वे वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोदू उर्फ़ गोवर्धन बनाम गोपी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	589/2023	

के हिस्से व कब्जे काश्त में उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वयं करे ना अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करवाये।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी 10 ने अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया | प्रतिवादी संख्या 11 ने अपनी लिखित बहस पेश की | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28/04/2023 पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का विस्तृत परिक्षण एवं विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/04/2023 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर